बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 परिवाद(कोविड 19)-01/20...807/311-नि 81 दिनांक 20 मई'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान, बिहार, पटना।

विषय :- **कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु अपनाए गए निवारात्मक उपायों के तहत इस दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उन्हें कार्य मुक्त रखने विषयक दिशानिर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**
(2) डी0ओ0पी0टी0, कार्मिक,लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापसंख्या - 11013/9/2014-Estt.(A.III), **दिनांक- 27.03.2020**
(3) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापसंख्या-34-06/2020-DD-III, **दिनांक- 28.04.2020**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त वर्णित विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। यह पत्र कोविड19 **(COVID-19)** के संक्रमण को रोकने हेतु अपनाए गए निवारात्मक उपायों के तहत इस दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उन्हें कार्य मुक्त रखने विषयक दिशानिर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में है। आप अवगत है कि कोविड19 **(COVID-19)** के प्रकोप और तेजी से फैलने की इसकी प्रवृति के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति की वजह से भारत सरकार द्वारा विविध निवारात्मक उपाय अपनाए गए हैं एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संबंधित अनुवर्ती दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

इस कार्यालय को विविध माध्यमों यथा ई-मेल, दूरभाष व ब्हाट्सप इत्यादि द्वारा विविध दिव्यांगजनों से उन्हें कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान विविध कार्यो यथा क्वारानटाइन/आइसोलेशन सेंटर इत्यादि में नियोजित किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

उक्त विषय के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान डी0ओ0पी0टी0, कार्मिक,लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापसंख्या-**11013/9/2014-Estt.(A.III)**, दिनांक- 27.03.2020 (प्रतिसंलग्न) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसके तहत कोविड19 **(COVID-19)** महामारी के दौरान मंत्रालयों एवं विभागों को अपने ड्यूटी रोस्टर तैयार करते समय दिव्यांगजनों को कार्य मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। डी0ओ0पी0टी0 के उक्त कार्यालय ज्ञापसंख्या के संदर्भ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापसंख्या-34-06/2020-**DD-III**, दिनांक- 28.04.2020(प्रतिसंलग्न) द्वारा भी इस विषय में आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं।

कृ0पृ0उ0............

कोविड19 **(COVID-19)** महामारी पूरी जनता को प्रभावित कर रहा है। परन्तु दिव्यांगजनों के विविध कारणों यथा शारीरिक, संवेदी व ज्ञान संबंधी सीमा, स्वास्थ्य स्थितियों इत्यादि की वजह से इसके चपेट के आने की संभावना ज्यादा है। इस आलोक में इस संकट की स्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनकी दिव्यांगता, विशिष्ट आवश्यकताओं, दैनिक जीवन की गतिविधियों को समझने और उपयुक्त एवं समयोचित उपाय करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के उक्त प्रासंगिक पत्रों के तहत जारी दिशानिर्देश इन्ही उपायों में शामिल है।

भारत सरकार ने कोविड19 **(COVID-19)** के कारण उत्पन्न गंभीर स्थितियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है तथा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा- 24(3) (ग) के प्रावधान अंतर्गत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की सहायता हेतु राज्य सरकारें समुचित प्राधिकार है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अत: कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान दिव्यांगजनों के विविध कार्यों में नियोजित किए जाने से संबंधित शिकायतों एवं इस संबंध में डी0ओ0पी0टी0, कार्मिक,लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापसंख्या द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों का संदर्भ देते हुए अनुरोध है कि विविध कार्यों हेतु बनाए गए अथवा अग्रेतर बनाए जाने वाले ड्यूटी रोस्टरों में उन दिव्यांगजनों को जो कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान कार्य नियोजन हेतु विविध कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, उन्हें कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान कार्य मुक्त रखने की कृपा की जाए।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता दिव्यांगजन कार्यालय को ई-मेल **email-scdisability2008@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ह0) 20.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,

बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 परिवाद(कोविड 19)-01/20.....807/311.1781 दिनांक 20 मई 2020

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान कार्य नियोजन हेतु **बनाए जाने वाले ड्यूटी रोस्टरों में** विविध कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त करने वाले **दिव्यांगजनों को** कोविड19 **(COVID-19)** के दौरान कार्य मुक्त रखने के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

(ह0) 20.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,

बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 परिवाद(कोविड 19)-01/20.....807/आ.नि.श.　　　दिनांक 20 मई 2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 परिवाद(कोविड 19)-01/20.....807/आ.नि.श.　　　दिनांक 20 मई 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 परिवाद(कोविड 19)-01/20.....807/आ.नि.श.　　　दिनांक 20 मई 2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

20.05.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

No.34-06/2020-DD-III
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

....

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan
CGO Complex, New Delhi
Dated the 28th April, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Exemption of Employees with Disabilities from essential services duty- reg.

The undersigned is directed to say that D/o Personnel and Training issued an OM on 27th Mar, 2020 exempting PwDs from essential services duty during lockdown period. D/o Financial Services was also requested by DoPT to issue similar instructions to Banks/Financial Institutions on 01.04.2020 (copy enclosed).

2. It has been brought to the notice of this Department that State Bank of India has issued a Circular which inter-alia mandates to treat the period of absence from duties in case of employees with disabilities during lockdown as "Sick Leave". Since employees with disabilities are exempted from duty during lockdown period, treating absence of such employees as "sick leave" during this period is not appropriate. Such period of absence may be treated as "Special Leave without loss of pay".

3. D/o Financial Services is, therefore, requested to issue appropriate instructions to all Banks/Financial institutions including State Bank of india, accordingly.

(K.V.S. Rao)
Director
Tel: 24362054

Encl: As Above

To: Shri Amit Agrawal, Joint Secretary
D/o Financial Services
E mail: jsbo@nic.in

instructions to all Banks/Financial institutions including State Bank of India, accordingly.

(K.V.S. Rao)
Director
Tel: 24362054

Encl: As Above

To: Shri Amit Agrawal, Joint Secretary
D/o Financial Services
E mail: jsbo@nic.in

No. 11013/9/2014-Estt. (A.III)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
27th March, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Preventive measures to contain the spread of COVID19 - Guidelines for protection and safety of Persons with Disabilities (Divyangjan) during COVID-19.

In continuation of this Department's OM of even no. dated 25.03.2020, all the concerned Ministries/ Departments, while drawing up roaster of staff who are required to attend essential services within their respective Ministry/ Department may keep in mind that employees, who are persons with disabilities (PwD) are exempted.

G. Jayanthi
(G. Jayanthi)
Joint Secretary

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. PMO/Cabinet Secretariat
3. PS to MoS(PP)
4. PSO to Secretary(Personnel)
5. Sr.Technical Director, NIC, DoPT